विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा, बोर्ड, रायपुर

"छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970
(अनुकूलन आदेश 2001) के अधीन गठित"

[स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन एक सांविधिक निकाय]

रजिस्ट्रार कार्यालय - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 5 मई 2018

नाम निर्देशन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय का प्रकाशन

क्रमांकत्र01/निर्वाचन/नानितिप्र/290-92—जबकि छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिकण यूनानी तथा प्रकृतिक चिकित्सा व्यवसीय अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 9 उप नियम (1) के तहत नाम निर्देशन-पत्रों को रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिक्तिसा बोर्ड, कार्यालय, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकत्सालय भवन, रायपुर में जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 25 जून 2018, सायं 05 बजे तक अध्यक्ष द्वारा नियत किया गया है. नाम निर्देशन-पत्रों की जांच दिनांक 30 जून 2018 को की जावेगी.

अतः छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम 9 उप नियम (1) के परिपालन में निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, एतद् निदेश देता है कि नाम निर्देशन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय का प्रकाशन आम लोगों को सूचनार्थ छत्तीसगढ़ के राजपत्र में किया जा रहा है.

टिप्पणी :—भारतीय चिकितसा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 तथा छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिक्त्सिा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) के प्रावधानों के अधीन छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अंतिम निर्वाचक नामावली में अन्तर्विष्ट चिक्तिसा व्यवायी तृतीय बोर्ड के गठन हेतु मतदान के लिए अर्ह हैं तथा नाम निर्देशन की पात्रता रखते हैं.

बोर्ड चुनाव 2017-18 में नाम निर्देशन5पत्र की पूर्ति हेतु आवश्यक जानकारी

1. छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिक्कत्साव्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) की धारा 4 की उपधारा (1) की खण्ड (ग) में दिये गये प्रावधान के अनुसार तृतीय बोर्ड के गठन हेतु बोर्ड चुनाव सम्पन्न कराने की प्रक्रिया की जा रही है.

2. छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्साव्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के नियम छः के अधीन राजस्व आयुक्त संभागवार अंतिम निर्वाचक नामावलियों का छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 27 अप्रैल 2018 को प्रकाशन किया गया है. बस्तर, बिलासपवुर, दुर्ग, रायपुर एवं सरगुजा राजस्व आयुक्त संभाग की निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्यालयनी समय सुबह 10.30 बजे से 05 बजे तक अवलोकन किया जा सकता है.

3. निर्वाचक नामावली में अंकित चिकित्साव्यवसायी, आवेदन पत्र के साथ रु. 100/- (एक सौ रॅपया) जगद जमा कर रजिस्ट्रार कार्यालय से दिनांक 25 जून 2018 सांच 05 बजे तक नाम निर्देशन5पत्र प्राप्त कर सकते हैं.

4. कोई भी चिकित्साव्यवसायी जिसका नाम किसी राजस्व आयुक्त संभाग में बोर्ड की अंतिम निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट हो और वह व्यवसायी अधिनियम की धारा 6 के अधीन अनर्हित (अपात्र) न हुआ हो, उस राजस्व आयुक्त संभाग के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के रूप में अपना नाम निर्देशन-पत्र की पूर्ति कर सकता है.

5. प्रत्येक नाम निर्देशन-पत्र एक प्रस्तावक के रूप में तथा दूसरा समर्थक के रूप में दो निर्वाचक नामावलीगत निर्वाचकों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा परंतु कोई भी निर्वाचक एक से अधिक नाम निर्देशन-पत्र को हस्ताक्षरित नहीं करेगा.

6. चिक्सिा व्यवसीय द्वारा नाम निर्देशन-पत्र की सम्यक पूर्ति कर रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकितसा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर के पक्ष में पचास रुपये का मनीआर्डर रसीद संलग्न करते हुए बोर्ड कार्यालय में जमा किया जा सकेगा.

7. नाम निर्देशन-पत्र, दिनांक 26 जून 2018 को 12 बजे मध्यान्ह के पूर्व निर्वाचन पदाधिकारी को प्राप्त हो जाना चाहिए. उक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले नाम निर्देशन-पत्र अविधिमान्य होंगे.

8. 26 जून 2018 को मध्यान्ह 12 बजे तक कार्यालय में प्राप्त नाम निर्देशन-पत्रों की जांच दिनांक 30 जून 2018 को की जावेगी.

9. प्रत्येक उम्मीदवार और उसका प्रस्तावक तथा समर्थक नाम निर्देशन-पत्रों की जांच के दौरान दिनांक 30 जून 2018 को रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित रह सकता है.

10. नाम निर्देशन-पत्रों की जांच के पश्चात् सही पाये गये चिकित्साव्यवसायियों को रजास्व आयुक्त सीाागवार सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट उम्मीदवार माना जाकर नाम तथा पता छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया जावेगा.

11. नाम निर्देशन-पत्रों की पूर्ति में काट-छांट होने पर वह नाम निर्देशन-पत्र अविधिमान्य होगा.

डॉ. पंतजलि दीवान,
निर्वाचन पदाधिकारी/रजिस्ट्रार.